

पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2024

दिनांक- फरवरी 14, 2024

सेवा में

OWNER/MANAGER,
KAYA AYURVEDIC COLLEGE AND RESEARCH CENTRE,
(BRIJ LAL MEMORIAL CHARITABLE SAMITI),
NEAR BALOT CAMP, SURYA JALA ROAD, PATTI-CHOPRA BHUJIYAGHAT,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:- अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-20571519 दिनांक:-23.01.2024 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:24.01.2024 के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा KAYA AYURVEDIC COLLEGE AND RESEARCH CENTRE, (BRIJ LAL MEMORIAL CHARITABLE SAMITI), NEAR BALOT CAMP, SURYA JALA ROAD, PATTI-CHOPRA BHUJIYAGHAT, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में अण्डर ग्राउन्ड रिजर्व वाटर टैंक 75 हजार ली0 क्षमता ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान है।
2. परिसर में 22 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता, 02 अदद सीओडू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता, 06 अदद हाईड्रेन्ट एवं 02 अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अघोहस्ताक्षरी द्वारा अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी ज्वलनशील समग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यंत्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कृब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्ता का पालन किए जाने एवं अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अघोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-1-होट0/एफ.एस.नैनीताल/24 के आधार KAYA AYURVEDIC COLLEGE AND RESEARCH CENTRE, (BRIJ LAL MEMORIAL CHARITABLE SAMITI), NEAR BALOT CAMP, SURYA JALA ROAD, PATTI-CHOPRA BHUJIYAGHAT, को दिनांक-14 फरवरी 2024 से 13 फरवरी 2027 तक अधिभोग (Occupancy) /अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)